

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

एस-2 'ए' ब्लाक, एनएएससी काम्पलेक्स, डीपीएस मार्ग, टोडापुर गांव के सामने  
नई दिल्ली-110012

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 39 की उपधारा (1) का खंड (iii)) के अधीन रजिस्ट्रीकरण योग्य पौधा संजीन उद्घारक कृषक पुरस्कार/मान्यता के लिए ऐसा कृषक जो भू-प्रजातियों के आनुवांशिक स्त्रोतों और आर्थिक पौधों के जंगली अन्योन्याप्रयी के संरक्षण और चयन और परिरक्षण के माध्यम से उनके सुधार में लगे हैं और इस प्रकार चयनित और संरक्षित सामग्री अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के योग्य किस्मों के जीन के दाता के रूप में उपयोग किया गया है, के लिए आवेदन प्रूप।

वर्ष \_\_\_\_\_

1.	आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
2.	डाक का पता (पत्र व्यवहार के लिए)  ब्लाक  ग्राम  डाकघर  जिला  राज्य  पिन  दूरभाष (यदि कोई हो)  ई-मेल  फैक्स  मेबाइल	
3.	संरक्षण स्थल (स्थलों) की अवस्थिति (अवस्थितियों)	
4.	पौधे और किस्में जिनके संरक्षण के प्रयास किए गए हैं	
5.	क्या इस प्रकार चयनित और परिरक्षित सामग्री पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अधीन रजिस्ट्री योग्य किस्मों के जीनों के दाता के रूप में उपयोग की गई है?  (संबद्ध संस्था से प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
6.	कितनी किस्में (जिसके अंतर्गत कृषक किस्में, भू-प्रजाति, जंगली अन्योन्याप्रयी और अन्य आनुवांशिक स्त्रोत समिलित हैं) परिरक्षित की गई?  (पादप/फसल वार ब्यौरे दें)	
7.	आवेदक द्वारा परिरक्षित किस्मों की कितने क्षेत्र में पौधा रोपण/उगाई की गई?	

	(ब्यौरे दें)	
8.	परिरक्षण की कोई नवीन प्रक्रिया जैसे संवर्धन व्यवहार, भंडारण तकनीक आदि विकसित की गई/अपनाई गई?	
	(ब्यौरे दें)	
9.	उन किस्मों के बारे में जानकारी दें जिन्हें परिरक्षित किस्म के साथ विकसित किया गया।	
10.	परिरक्षित किस्म या किस्मों में पहचान की गई भिन्नता क्या है?	
11.	संगठन का नाम, यदि कोई हो, जिसने परिरक्षित किस्म में कोई उपयोगी विशेषता की पहचान की है	
12.	क्या कृषक को किसी अन्य संगठन द्वारा परिरक्षण के प्रयास के लिए पुरस्कार या मान्यता दी गई है?	
	(ब्यौरे दें)	
13.	अभिकरणों का नाम (सरकारी या गैर सरकारी संगठन) जो किए गए दावों से परिचित हो।	v. सरकारी vi. गैर सरकारी (संगठन)
14.	क्या जनता के जैव विविधता रजिस्टर में सामग्री को स्थान दिया गया है।	

टिप्पण : 1. कृपया आवेदन प्ररूप के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करें।

2. आवेदन करने की कोई फीस नहीं है।
3. विवरण/किसी कालम में जानकारी के लिए अतिरिक्त पृष्ठ उपाबंध के रूप में जोड़ सकते हैं।
4. पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के पदधारियों से कोई स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।
5. घोषणा संलग्न की जाए।

## अनुसूची 2

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

एस-2 'ए' ब्लाक, एनएससी काम्पलेक्स, डीपीएस मार्ग, टोडापुर गांव के सामने  
नई दिल्ली-110012

घोषणा

[नियम 6(2) देखिए]

उस व्यक्ति का नाम और पता/दूरभाष सं./ई-मेल जिसके साथ रजिस्ट्रार पीपीवी और एफआरए पत्र व्यवहार कर सकता है:

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) \_\_\_\_\_

डाक का पता (पत्र व्यवहार के लिए) \_\_\_\_\_

ब्लाक \_\_\_\_\_

ग्राम \_\_\_\_\_

डाकघर \_\_\_\_\_

जिला \_\_\_\_\_

राज्य \_\_\_\_\_

पिन \_\_\_\_\_

दूरभाष (यदि कोई हो) \_\_\_\_\_

आवेदन में दी गई जानकारी मेरे पूर्ण ज्ञान, जानकारी ओर विश्वास में सत्य है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

यदि प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन में नामित कृषक ने इस आवेदन प्ररूप में वर्णित सामग्री का परिरक्षण और सुधार किया है और पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अधीन रजिस्टर योग्य किस्मों में जीनों के दाता के रूप में उक्त सामग्री का उपयोग किया गया है।

(संबद्ध पंचायत जैव विविधता प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सचिव सा संबद्ध जिला कृषि अधिकारी या संबद्ध राज्य कृषि विश्वविद्यालय या संबद्ध जिला जनजातीय विकास कार्यालय के अनुसंधान निदेशक द्वारा सत्यापित होगा)।